न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/581

अब्दुल वहीद आत्मज बशीरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी सांगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. अब्दुल अजीज आत्मज बशीरूद्दीन जाति मुसलमान निवीस विवेकानन्द स्कूल के पीछे, छावनी, कोटा ।
2. राजस्थान राज्य तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 1090 की 2.09 हैक्टर, खसरा नम्बर 1287 की 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 1288 की 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1289 की 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 1290 की 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 1291 की 0.17 हैक्टर, 1292 की 0.35 हैक्टर, 1293 की 0.23 हैक्टर कुल 08 किता की 3.49 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी की शामलाती खाते की भूमि है । उक्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के हिस्से एवं कब्जे के अनुसार वादी व प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य विधिवत विभाजन कर खाता पृथक–पृथक किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रंखते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 18.05.2017 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.05.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को सूचित किये तथा बिना सुनवाई किये निर्णय दिया है जो विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत है तथा शून्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाबदावा एवं शहादत के निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 25.07.2017 नियत थी पत्रावली बीच में लोक अदालत में रखकर बिना सूचित किये निर्णय पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त फरमायी जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 25.07.2017 नियत थी पत्रावली बीच में राजस्व अभियान में बिना सूचित किये रखकर निर्णय कर दिया जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.11.2017 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट को सूचित किये तथा बिना सुनवाई किये निर्णय दिया है जो विधि सके सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत है तथा शून्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जवाबदावा एवं शहादत के निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 25.07.2017 नियत थी । पत्रावली बीच में लोक अदालत में रखकर बिना सूचित किये निर्णय पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 18.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावे में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है, जबकि लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्षकारान उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें, इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के अन्दर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा